रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252949
CG-DL-E-13032024-252949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय बोर्ड अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

सा.का.नि. 184(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निरीक्षण महानिदेशालय (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 को जहां तक उसका संबंध निरीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पद से है तथा राजस्व आसूचना निदेशालय और कर अपवंचन निरोध निदेशालय (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उसका संबंध आसूचना अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय बोर्ड अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क के अधीन निदेशालयों में निरीक्षक/आसूचना अधिकारी (समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय पदों) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क निदेशालय, निरीक्षक/ आसूचना अधिकारी (समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निरीक्षक/ आसूचना अधिकारी	609*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण:** जैसे कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (एन ए सी आई एन) निदेशालय की स्वीकृत संख्या, संबद्ध जोन के काडर नियंत्रण प्राधिकरी से निकाली गई है, इसकी स्वीकृत संख्या क्षेत्र गठन में दर्शाई गई है तथा निदेशालय भर्ती नियमों से उसे हटा दिया गया है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित/ अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44,900-1,42,400 रू.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 25% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 75% प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)

(अ) प्रोन्नति : कार्यकारी सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड- 1, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, के ग्रेड में से विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

टिप्पण- 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर कार्यकारी सहायक और आशुलिपिक ग्रेड-1 के पदों को धारण करने वाले व्यकित्यों के लिए विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति हेतु पात्रता सेवा, ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी, जिसके न हो सकने पर क्रमश: कार्यकारी सहायक और कर सहायक और आशुलिपिक ग्रेड-1 तथा आशुलिपक ग्रेड-2 के ग्रेड में पंद्रह वर्ष की संयोजित नियमित सेवा होगी।

टिप्पण- 2: प्रोन्नतों को नीचे विहित शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करना और शारीरिक मान रखना अपेक्षित होगा:

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:-

(क) शारीरिक मान (निम्नतम)

(i) ऊंचाई: 157.5 से.मी. (गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य की दशा में 5 से.मी. शिथिल की जा सकती है।

(ii) छाती : 81 से.मी. (पूरी तरह से फूला कर जिसमें न्यूनतम 5 से.मी. का फैलाव हो)

(ख) शारीरिक परीक्षा:-

पैदल चलना: 1600 मीटर 15 मिनट में

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए:-

(क) शारीरिक मान (निम्नतम)

(i) ऊंचाई- 152 से.मी.

(ii) भार- 48 कि.ग्रा.

(गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की दशा में ऊंचाई 2.5 से.मी. से तथा भार 2 कि.ग्रा. से शिथिल किया जा सकता है।)

(ख) शारीरिक परीक्षा:-

पैदल चलना: 1 कि.मी. मीटर 20 मिनट में

टिप्पण- 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने उपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण- 4: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, क्रमश: ग्रेड या पद में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा पूर्ण करने की तारीख के संदर्भ से तैयार की जाएगी।

टिप्पण- 5: वेतन मैट्रिक्स में दिए गए स्तर में पदधारी, जो पुष्ट हैं या इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर स्थायी पदधारी हैं तथा ऐसे प्रारंभ से पूर्व आयोजित विभागीय अर्हता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र हैं, सभी विभागीय अर्हता परीक्षा में साम्यापूर्ण आधार पर भाग लेने के लिए पात्र होना जारी रहेंगे।

टिप्पण- 6: वेतन मैट्रिक्स में दिए गए स्तर में पदधारी, जो आशुलिपिक काडर में आते हैं, जिन्होंने इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् विभाग में पद ग्रहण किया है, ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् आयोजित विभागीय अर्हता परीक्षा में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पण- 7: अभ्यर्थी के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमाशुल्क द्वारा समय समय पर अवधारित ऐसी लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और लिखित परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी और परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों की गणना वरिष्ठता अवधारित करने के लिए नहीं होगी।

(आ) प्रतिनियुक्ति : प्रतिनियुक्ति पर पद, केंद्रीय माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के क्षेत्र गठन में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44,900-1,42,400 रू.) में निरीक्षक सीजीएसटी, निवारक अधिकारियों और परीक्षकों में से संबद्ध निदेशालयों द्वारा भरे जाएंगे, जिनकी ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा हो।

टिप्पण- 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. प्रधान या अवर महानिदेशक, महानिदेशालय निष्पादन प्रबंधन – अध्यक्ष 2. अवर या संयुक्त निदेशक, महानिदेशालय राजस्व आसूचना – सदस्य 3. अवर या संयुक्त निदेशक, महानिदेशालय राजस्व आसूचना – सदस्य 4. उपनिदेशक, भारतीय राजस्व सेवा – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए- 12018/07/2016 – एडी.III.बी]

राजन कुमार झा, निदेशक (एडी.III.बी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2024

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Inspection (Customs and Central Excise) (Group 'C' and Group 'D' posts)

Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Inspector of Central Excise and the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Anti-Evasion (Group 'C' and Group 'D' post) Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Intelligence officer, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector/Intelligence officer (Group 'B', Non Gazetted, Non-Ministerial Posts) in the Directorates under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (i) These rules may be called the Central Indirect Taxes and Customs Directorates Inspector/Intelligence officer (Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. —** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be asspecified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. —** No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage ispermissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, theScheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for directrecruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Inspector/ Intelligence Officer.	609*(2024) *Subject to variation dependent on Workload **Note:** As the sanctioned strength of National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN) directorate is borne on and drawn from Cadre Controlling Authority of the respective zone, its sanctioned strength is shown in field	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the Pay Matrix (Rs.44,900-1,42,400).	Selection post.	Not applicable.

	formations and removed from Directorate Recruitment Rules.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply incase of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 25% by promotion failing which by deputation; (ii) 75% by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from whichpromotion or deputation/ absorption to be made.
(11)

(A) Promotion:

By promotion through Departmental Qualifying Examination from the grades of Executive Assistant and Stenographer Grade-I in level – 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.

Note 1: The eligibility service for promotion through Departmental Qualifying Examination for persons holding the posts of Executive Assistant and Stenographer Grade-I on regular basis on the date of notification of these rules shall be five years of regular service in the grade failing which fifteen years of combined regular service in the grades of Executive Assistant and Tax Assistant and Stenographer Grade-I and Stenographer Grade-II, respectively.

Note 2: Promotees shall be required to pass physical tests and possess the physical standards prescribed below:

(1) For male candidates:-

(a) Physical standards (Minimum)

(i) Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.)

(ii) Chest: 81 cms (fully expanded with minimum expansion of 5 cms)

(b) Physical Test-

Walking: 1600 meters in 15 minutes

(2) For female candidates:

(a) Physical standards (Minimum)

(i) Height-152 cms

(ii) Weight- 48 kgs

(Height relaxable by 2.5 cms and weight relaxable by 2 kgs in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.)

(b) Physical Test: -

Walking: 1 km. in 20 minutes

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 4: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Note 5: The officials in the given level in the pay matrix, who are confirmed or permanent officials of the Department as on the date of commencement of these rules and who are eligible to participate in the Departmental Qualifying Examination conducted prior to such commencement shall continue to be eligible to participate in all the Departmental Qualifying Examination on an equitable basis.

Note 6: The officials in the given level in the pay matrix, in the stenography cadre, who, join the Department after the date of commencement of these rules shall not be eligible to participate in the Departmental Qualifying Examination conducted after the date of such commencement.

Note 7: Candidates shall be required to pass such written tests as may be determined by the Central Board of Indirect Taxes and Customs from time to time and the written test shall be qualifying in nature and the marks obtained in the test shall not be counted towards determining seniority.

(B) Deputation:

Deputation posts shall be filled up by the Directorates concerned from amongst the Inspectors CGST, Preventive Officers and Examiners in level-7 (Rs 44,900-1,42,400) in the pay matrix in field formations of Central Goods & Services Tax, Central Excise and Customs, having two years of regular service in the grade.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. The Principal or Additional Director General of Directorate General of Performance Management – Chairperson; 2. The Additional or Joint Director of Directorate General of Revenue Intelligence – Member; 3. The Additional or Joint Director of Directorate General of Revenue Intelligence – Member; 4. The Deputy Director of the Indian Revenue Service – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.A-12018/07/2016-Ad.III.B]

RAJAN KUMAR JHA, Director (Ad.III.B)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2024.03.13 21:48:59 +05'30'